केन्द्रीय सूचना आयोग
कमरा न. 302, **बाबा गंग नाथ मार्ग**,
तीसरा तल, मुनिरका, नई दिल्ली-110067

संख्या: CICOM/R/2018/00956/SB **दिनांक : 03.10.2018**

श्री राधे श्याम स्वामी,

विषय :- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना ।

महोदय

कृपया सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन दिनांक **11.09.2018** का सन्दर्भ ग्रहण करे जो इस रजिस्ट्री को ऑनलाइन सुविधा आरटीआई एमआईएस के माध्यम से दिनांक **03.10.2018** को प्राप्त हुआ है। इस संबंध में उत्तर निम्न प्रकार है: -

आपकी फाइल संख्या CIC/OBKOC/A/2017/177478 में समस्त पत्र आपके द्वारा ही आयोग को भेजे गये है । इस संबंध में हम आपको आयोग के निर्णय संख्या CIC/AT/A/2006/00411 दिनांक 05.12.2006 (जी.पी.एस. राणा बनाम दिल्ली पुलिस) में दिए गये आदेश के पैरा संख्या 6 और 7 कि ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते है जिसमे आयोग ने निम्नानुसार फैसला किया:-

> ***"6. A perusal of the original information sought by the appellant from the CPIO reveal that items 1 to 9 and items 16 to 18 pertained to copies of the appellant's own letters written to the public authority, in this case the Delhi Police. The AA concluded that since the information requested by the appellant originated from the appellant himself, he was not within his right to seek the same from the public authority.***
> ***7. The contention of the AA is upheld. The purpose of the RTI Act is to allow access to a citizen to information held by a public authority. The key element is provision of information. Insofar as an information is held by a citizen himself, it must be construed that he already had access to such information and his seeking the same from a public authority is a wholly infructuous exercise. In such cases, it should suffice if the public authority intimates to the appellant whether or not his/her letters/petitions had been received by that public authority and the dates thereof. If he wants to have copies of his own letters written to the public authority, he better looks up his own records. In all such cases, the key information to be transmitted to an information-seeker, when such information pertains to the copies of letters he himself might have written to public authority, is that the public authority was or was not in possession of those letters/petitions. The public authority has no obligation beyond supplying the above-mentioned information to the information-seeker."***

आयोग के उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुये आपको यह सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा मांगे गये दस्तावेज स्वयं आपने ही आयोग को भेजे थे । तदानुसार अनुरोधित दस्तावेज आपको नहीं दिए जा सकते है ।

आयोग के आदेश संख्या CIC/OBKOC/A/2017/177478 की प्रतिलिपियाँ आपको पहले ही भेज दी गई है और आर्डर शीट दिनांकित 04.07.2018, 11.05.2018 & 17.08.2018 की प्रतिलिपियाँ इस पत्र के साथ सलंगन है

यदि आप इस जबाब से संतुष्ट नहीं है तो आप 30 दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रथम अपील कर सकते है । प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम व पता नीचे दिया गया है:- *श्री राकेश कुमार सिंह, अतिरिक्त सचिव एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली -110067*

(एस. एस. रोहिला)
CPIO & DR to IC (SB)
E-mail: do.icsb-cic@gov.in
Phone No. 011-26105682

प्रतिलिपि : केंद्रीय जन सूचना अधिकारी, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।